

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

उ०प्र०

लखनऊ।

पत्रांक:आर-५/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-15(गौतम०)/६५७

दिनांक: दिसम्बर

४ 2015,

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स सेन्ट्रल गर्वमेन्ट इम्प्लाइज वैलफेयर हाऊसिंग ऑर्गनाइजेशन, द्वारा प्लॉट न०-०७, सेक्टर पाई-०४, बिल्डर्स एरिया ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2015/16192/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/3779/जे०डी०

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 03-12-2015 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को प्रेषित की गई उनके द्वारा पत्रावली का परीक्षण कर संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-प्लॉट एरिया-1,53,832.00 वर्ग मी० है। जिसमे प्रस्तावित ब्लॉक/टावरों का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क०स०	ब्लॉक का टाइप	टावरों की संख्या	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	स्टेयरकेस की चौड़ाई मीटर मे	ऊँचाई मी०।
1	टाइप-ए०	01	एस/जी+13	630.37	481.13	02 अदद-1.50/1.25	42.00
2	टाइप-बी	04	एस/जी+13	3943.37	3103.14	02 अदद-1.50/1.25	42.00
		01	एस/जी+11	985.78	775.79	02 अदद-1.50/1.25	36.00
3	टाइप-सी	12	एस/जी+14	7176.60	6225.38	02 अदद-1.50/1.25	45.00
		02	एस/जी+12	1196.10	1037.56	02 अदद-1.50/1.25	39.00
		01	एस/जी+11	598.05	518.78	02 अदद-1.50/1.25	36.00
		01	एस/जी+09	598.05	518.78	02 अदद-1.50/1.25	30.00
4	टाइप-डी	12	एस/जी+14	9296.93	8550.14	02 अदद-1.50/1.25	45.00
5	कम्यूनिटी सेन्टर	1	जी+03	1168.36	1168.36	03 अदद-1.50 प्रत्येक	18.6
6	स्कूल	1	जी+1	520.11		02 अदद-1.50 प्रत्येक	07.50
7	नर्सिंग होम	1	जी+2	337.58		01 अदद-2.00 मीटर।	09.45
8	शापिंग	1	जी+1	912.49		03 अदद-1.5 मीटर	11.40

बेसमेन्ट कवर्ड एरिया- प्रश्नगत भवन का कवर्ड एरिया-14,0267.0364 वर्ग मी०।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन०बी०सी-2005 आवासीय श्रेणी ए०-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई 45 मी० मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-25.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-15.00 मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-15.00 मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-15.00 मी० प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरों के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे तालिकानुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

(पी० के० राव)

संयुक्त निदेशक फा०स०

उ० प्र० लखनऊ

- 4-रिफ्यूज एरिया:- भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
- घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन हेतु एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं कराया जाना अनिवार्य है।
- 1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 लीख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास अग्निशमन कार्यो हेतु 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का 01 अदद मेन विद्युत चालित पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।
- 3-टेरिस टैंक: समस्त टावरो की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 4-होजरील मय डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं आईएस0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 6-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन मे वेटराईजर एन0बी0सी0 के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 7-यार्ड हार्डड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन मे रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हार्डड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 8-आटोमेटिक रिप्रंकलर सिस्टम:- 45 मीटर ऊँचाई के समस्त टावरो व सम्पूर्ण तलों एवं बेसमेन्ट मे ऑटोमेटिक-रिप्रंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 9-आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- समस्त टावरो मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 10-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।
- 12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन मे बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमे स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 13-एग्जिट साईनेज:- भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 13-पी0ए0 सिस्टम:- समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 14-प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 15-भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
- 16-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स सेन्ट्रल गर्वमेन्ट इम्प्लाइज वैलफेयर हाऊसिंग ऑर्गनाईजेशन, द्वारा प्लाट न0-07, सेक्टर पाई-04, बिल्डर्स एरिया ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(श्री0क0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
30.00 लखनऊ

- प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3-मैसर्स सेन्ट्रल गर्वमेन्ट इम्प्लाइज वैलफेयर हाऊसिंग ऑर्गनाईजेशन, द्वारा प्लाट न0-07, सेक्टर पाई-04, बिल्डर्स एरिया ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।